कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)

वाहन किराये हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक/रा.स्वा.मि./2017–18/ 2201 जगदलपुर, दिनांक 10/04/2017

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) अंतर्गत जिले के 07 विकासखंडों के लिये कार (**Scorpio/Bolero/Sumo/Tavera.....**) श्रेणीओं के वाहन की आवश्यकता है। उक्त संबंध में उल्लेखित श्रेणीयों के वाहन उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों/फर्म जो बस्तर जिला के निवासी हो/फर्म का कार्यालय बस्तर जिला में स्थापित हो, से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से शासकीय कार्य दिवस पर प्रातः 11.00 से संध्या 5.00 बजे तक रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) निविदा प्रपत्र मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट जो कि नॉन रिफंडेबल है, जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है। डी.डी. **District Health Society, Bastar** के नामे ही स्वीकार किये जावेंगे।

निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि : 20 अप्रैल 2017 को सायं 5.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 21 अप्रैल 2017 अपरान्ह 4.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि : 22 अप्रैल 2017 को अपरान्ह 4.00 बजे

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

किराये पर वाहन लिये जाने हेतु आवश्यक शर्तें

1. निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम अतिम तिथि :20 अप्रैल 2017 को सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है।
2. *निविदा मुहरबंद लिफाफे में जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक 21.04.2017* को अपरान्ह 4.00 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे।
3. निविदा खोले जाने की तिथि : 22.04.2017 अपरान्ह 4.00 बजे
4. निविदा की दर निविदा खोले जाने की तिथि से 31 मार्च, 2018 तक के लिये होगी।
5. निविदा प्रपत्र का मूल्य 500/– (रूपये पांच सौ) रूपये डी.डी. जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो एवं के **District Health Society, Bastar** नाम से देय अदा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकेंगे। उक्त राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
6. निविदाकर्ता को अमानत राशि **रूपये 8000/– (आठ हजार रूपये मात्र)** जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक का हो डिमांड ड्राफ्ट **District Health Society, Bastar** के नाम से देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. असफल निविदाकर्ता के अमानत राशि की डिमांड ड्राफ्ट मूलतः उन्हें वापस कर दी जावेगी एवं सफल निविदाकर्ता के अमानत राशि निविदा की वैध तिथि तक जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा रखी जावेगी, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
8. निविदाकर्ता व्यक्ति/फर्म/फर्म के संचालक के नाम से न्यूनतम एक वाहन जीप/कार श्रेणी की पंजीकृत होना अनिवार्य है। जो कि टैक्सी/व्यवसायिक उपयोग हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निविदा प्रपत्र में लिखा जाना अनिवार्य होगा।
9. निविदाकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिन वाहनों का मालिक है केवल उन्ही वाहनों के लिये निविदा भर सकेगा, अन्य वाहनों के लिये दिये गये प्रस्ताव अमान्य होंगे। निविदाकर्ता फर्म के लिये यह शर्त शिथिल होगी, अर्थात निविदाकर्ता फर्म सभी श्रेणियों के अनुबंधित वाहनों के लिये निविदा भर सकते हैं।
10. निविदाकर्ता बस्तर जिला के निवासी हो/फर्म का कार्यालय बस्तर जिला में स्थापित हो इस संबंध में अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
11. **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (RBSK) अंतर्गत वाहन जिले के 07 विकासखंडों के लिये होगी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम (RBSK) के अंतर्गत मासिक दर प्रत्येक गाड़ी हेतु राशि रू. 33,000/– (तैंतीस हजार रूपये मात्र) (वाहन मालिक के द्वारा वाहन मरम्मत+ड्राईवर व्यवस्था+फ्यूल का संपूर्ण व्यय) उक्त राशि से कराना होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य राशि नहीं दी जावेगी।**
12. निविदाकर्ता को पेन कार्ड की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
13. निविदा में भरी गई वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।
14. निविदा दर भारतीय मानक रूपये में अंकित किये जावे।
15. अपूर्ण एवं ओवर रायटिंग की स्थिति में निविदा निरस्त किया जावेगा।
16. किराये पर दिया जाने वाले वाहन नये मॉडल/मेक का ही स्वीकार किया जावेगा। किसी भी स्थिति में **05 वर्ष से पुराने** मेक के वाहन स्वीकार नहीं किये जावेगें।
17. विभागीय अधिकारियों के किराये पर वाहन उपयोग किये जाने के पश्चात उपयोगकर्ता अधिकारी के **अभिप्रमाणित लॉगबुक** की प्रति के साथ ही देयक स्वीकार किये जावेंगे।

[P.T.O.]

18. वाहन प्रदायकर्ता के लिये यह बाध्यता होगी कि वह विभागीय आवश्यकतानुसार समय पर वाहन उपलब्ध करायें, जो कि एक घण्टे पूर्व मौखिक/लिखित सूचना पर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
19. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा समय–समय पर मौखिक/लिखित रूप में वाहन किराये पर परिस्थिति अनुसार मंगाये जा सकेंगे।
20. विभागीय अधिकृत कार्यक्रम अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पृथक से विभाग प्रमुख मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बस्तर द्वारा समय–समय पर जारी किया जावेगा। जिसकी सूचना वाहन प्रदायकर्ता को लिखित उपलब्ध करा दी जावेगी।
21. वाहन प्रदायकर्ता को अनिवार्य रूप से देयक प्रति **माह 05 तारीख के पूर्व** समस्त वाहन उपयोगकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षरित लॉगबुक एवं कार्यादेश की प्रति के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सभी भुगतान प्रचलित आयकर नियमानुसार कटौती उपरांत ही भुगतान किये जावेंगे।
22. **वाहन में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), छ.ग. शासन तथा विभागीय विज्ञापन चिपकाये जावेंगे, इसके लिये वाहन प्रदायकर्ता की कोई आपत्ति नहीं होगी।**
23. सेवा प्रदाता एजेन्सी के पास पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संशाधन ड्रॉयवर की उपलब्धता हो। इस आशय से प्रमाणित साक्ष्य, फोटोग्राफ एवं कर्मचारियों के पूर्ण विवरण (नाम, पता, उम्र सहित) संलग्न किये जायें। ड्रॉयवर के पास लाईसेंस होना अनिवार्य है।
24. किसी भी स्थिति में उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं किये जाने वाले निविदाकर्ता के प्रस्ताव को अस्वीकार व निरस्त किया जा सकेगा।
25. निविदा प्रक्रिया निरस्त किये जाने का संपूर्ण अधिकार निविदा के संबंध में गठित क्रय समिति जिला स्वास्थ्य समिति, बस्तर एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)